श्री मोहम्मद अदीब : और उससे पहले मालेगांव में भी बम ब्लास्ट किया। ...(**व्यवधान**)... ये आरएसएस के लोग ब्लास्ट कर रहे हैं और इसीलिए बोलने नहीं दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... इनको मालूम है कि ...(**व्यवधान**)...

†[**جناب محمد ادیب** : اور اس سے پہلے مالیگاؤں میں بھی بم بلاسٹ کیا۔
...(مداخلت)... یہ آر.ایس.ایس. کے لوگ بم بلاسٹ کر رہے ہیں اور اسی لئے بولنے
نہیں دے رہے ہیں ...(مداخلت)... ان کو معلوم ہے ...(مداخلت)...]

SHRI SITARAM YECHURY: *

DR. V. MAITREYAN: *

SHRI VINAY KATIYAR: *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have given the ruling. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: *

SHRI S.S. AHLUWALIA: *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The House is adjourned for one hour to meet after lunch.

The House then adjourned for lunch at forty-two minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled after lunch at forty Minutes past one of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.

Discussion on the Working of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, the Minister to reply to the discussion on the working of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने अनाज की कीमतों के बारे में, अनाज की उपलब्धि तथा अनाज के बंटवारे के बारे में, आम जनता के सामने जो महत्वपूर्ण समस्या है, उस पर इस सदन में बड़ी गहराई से

* Not recorded.

† [Transliteration in Urdu Script]

चर्चा में भाग लिया और डिस्कशन किया। सभी सदस्यों ने इस विभाग की कुछ कमियों को बताने का प्रयास किया तथा साथ ही साथ कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं। इसकी नीति तय करने के बारे में और जो सुधार करने की आवश्यकहा है, वे सुधार करने के लिए मुझे और मेरे साथियों को इससे मदद मिलेगी। पहली बात तो यह ध्यान में रखने की है कि अनाज की खरीद, अनाज का स्टोर और अनाज का मूवमेंट जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक होता है, इसका राज्य सरकार की मदद से बंटवारा करना, इसका डिस्ट्रिब्यूशन करना, यह बड़ी जिम्मेदारी हमारे विभाग की है।

इसके साथ-साथ उपभोक्ता का एक विभाग है, कंज्यूमर अफेयर्स, जिसमें कंज्यूमर की, उपभोक्ता की रक्षा करनी होती है, जो अत्यावश्यक चीजें हैं, उनकी कीमतों का ध्यान रखना होता है, that is, Essential Commodities Act's enforcement. यह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ-साथ और भी कई छोटे-मोटे काम इस विभाग के पास हैं। सदन में इस बारे में कई बार चर्चा हुई, मगर पूरी चर्चा का ध्यान अनाज की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर था, लेकिन आज एक ऐसा मौका है, जिसमें मुझे इस सदन के माध्यम से, इस विभाग का पूरा नक्शा सदन के सदस्यों और देशवासियों के सामने रखने का मौका मिल रहा है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी और आज भी है, वह अनाज की कीमतों के बारे में है। The WP base rate of the food inflation was somewhere near to 17.65 per cent on 10th April. I think, that has come down to 16.5 per cent, and there is a little bit indication about this changing trend. जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई कीमतों के बारे में है, इस साल कृषि के ओवर आल उत्पादन पर पहले सीजन में कुछ बुरा असर हुआ, मगर पिछले साल का प्रोक्योरमेंट और इस साल की खरीद, ये दोनों देखने के बाद, आज ऐसी स्थिति है, जिसको हम कंफर्टेबल सिचुएशन कह सकते हैं। इसका असर कीमतों पर भी दिख रहा है, मगर मैं यह नजरअंदाज नहीं करना चाहता हूं कि कुछ आइटम ऐसे हैं, जिनका उत्पादन कम हुआ था और जिनकी कीमतें आम जनता के लिए एक समस्या पैदा कर सकती थी, वे उस लेवल तक भी गई थीं, जैसे चीनी हो, आलू हो, प्याज हो, पल्सस हों या एडिबल ऑयल हो। उसके साथ ही साथ एक बात और हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यह जो स्थिति पैदा होती है, इसमें हम डिमांड और सप्लाई का नियम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होना शुरू हो गया, अंतर पड़ गया, तो इसका असर हमेशा कीमतों पर पड़ता है और हम पिछले कुछ दिनों में यह स्थिति देख रहे हैं। जैसाकि मैंने कहा कि चीनी के बारे में इस सदन में कई बार डिस्कशन हुआ, देशवासियों की चीनी की जो साल की जरूरत है, वह 220 या 230 लाख टन के आसपास होती है। लास्ट ईयर, हमारा उत्पादन 147 लाख टन के आसपास हो गया था। कुछ पिछले साल का स्टॉक हमारे पास था, लेकिन फिर भी एक गैप था, यह गैप सडनली चीनी की कीमतें ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार हो गया था।

इस साल हमने एक बात और देखी कि अपने देश में किसान तीन सीजन लेने के लिए हमेशा प्रयास करता है। एक खरीफ का सीजन, जिसमें हमारा साठ प्रतिशत उत्पादन खरीफ में मिलता है, चालीस प्रतिशत उत्पादन रबी में, समर क्रॉप में देशवासियों को मिलता है। परन्तु हमेशा देशवासियों का सबसे ज्यादा ध्यान खरीफ के season पर होता है। मगर इस साल 2009-10 में देश के कई जिलों में एक तरह के सूखे की परिस्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकारों द्वारा 14 राज्यों में 338 जिले अकालग्रस्त announce किए गए। इससे धान, दालें, गन्ना, प्याज, आलू, इनके उत्पादन पर बुरा असर पड़ा। इसका असर इन सभी चीजों की कीमतों के ऊपर देशवासियों को देखने को मिला। इसके लिए रास्ता निकालने की आवश्यकता थी। मिनिस्ट्री का इसके ऊपर ध्यान था। इसमें कुछ कदम तुरंत उठाने की आवश्यकता थी और कुछ कदम long term policy में कुछ सुधार करने के लिए भी उठाने की आवश्यकता थी। इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए हमने इसके बारे में कदम उठाए। इनकी availability, उपलब्धता कैसे बढ़ेगी, इस पर एक तरह से ध्यान दिया गया, जिससे आज की समस्या हल करने में मदद मिले। देश के कुछ राज्यों में, जहां ज्यादा उत्पादन होता है, वहां कुछ रुकावटें आई होंगी, कोई restriction लाई गई होगी, तो उसे दूर करने के लिए उस राज्य सरकार को मनाना; उनकी free movement कैसे होगी, इस पर ध्यान देना, पूरे देश के अन्दर इस तरह के निर्णय लेने की आवश्यकता थी और जहां निर्णय लेने की आवश्यकता थी, इस तरह के निर्णय लिए गए।

इसके साथ fiscal measures and administrative measures से भी इसको सुधारने का काम किया गया। Fiscal measures से जिन चीजों की उपलब्धता इस देश में आज नहीं है, वहां आम जनता को इसकी कीमत चुकाने की नौबत न आए और हम उसे दुनिया में कहीं भी ले जा सकते थे, तो उसके लिए रास्ता खोलने की आवश्यकता थी, इसलिए चाहे चीनी हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे pulses हों, चाहे crude edible oil हो, इनकी import duty ज़ीरो तक लाने का काम किया गया, जिससे यहां supply हो जाए और यहां availability हो जाए। जब availability बढ़ जाती है, supply ज्यादा होती है, तब कीमतों के ऊपर असर होता है। इस तरह देश में इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक रास्ता खोलने का काम किया गया। Refine Edible oil, जिसके ऊपर duty बहुत ही ऊपर थी, 40-60 प्रतिशत तक थी, उसे 7.5 प्रतिशत तक लाने का कदम उठाया गया, जिससे demand और supply में जो gap था, उस gap को भरने में मदद मिले।

इसके साथ-साथ कुछ administrative measures भी लिए गए। अपने देश में कई items ऐसे हैं, जो भारत के बाहर जाते हैं। पिछले कई सालों से भारत सरकार के माध्यम से दुनिया के मार्केट में बासमती चावल बेच कर इस मार्केट में हिन्दुस्ताल का एक स्थान स्थापित करने की कोशिश की गई और इसमें हमें कामयाबी भी मिली। मगर बासमती चावल के साथ-साथ अन्य चावल का नुकसान हो गया, 338 जिलों में वहां की राज्य सरकारों ने सूखे की परिस्थिति announce की, ऐसी परिस्थिति में जब धान की फसल कम हो गई, तो धान का export चालू रखना देश

के लिए, आम जनता के लिए अच्छी बात नहीं थी। और चूंकि बासमती आम जनता का आइटम नहीं है, इसलिए इसका एक्सपोर्ट कंटीन्यू किया गया और नॉन बासमती को एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र्स से कंट्रोल करने का काम किया गया। इसके साथ-साथ एडिबल ऑयल, पल्सिज़ इत्यादि के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का काम भी भारत सरकार ने किया। काबुली चना को छोड़ दिया गया, क्योंकि उसकी उपलब्धता लिमिटेड है।

श्री शांता कुमार जी ने यहां बताया कि जब वह खाद्य विभाग की जिम्मेदारी स्वयं संभालते थे, तब उन्होंने प्याज की परिस्थिति देखकर कुछ कदम उठाए थे। मुझे भी यह याद है, क्योंकि तब मैं संसद में ही था। शांता कुमार जी ने जब यह जिम्मेदारी ली थी, उसे बड़ी अच्छी तरह से संभाला था और कुछ कदम भी उठाए थे। यह बात मुझे मालूम नहीं कि वे कदम कहां तक किसानों के हित में थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक बैलेंस रखने की आवश्यकता पड़ती है ताकि किसानों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और साथ-साथ उपभोक्ता के हितों की रक्षा भी हो सके। भारत सरकार के द्वारा भी इस तरह का बैलेंस रखने की कोशिश की गई है।

एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र्स के अंतर्गत tariff, freight and value of the edible oil में कुछ बदलाव किए गए। कंट्रोल लाने के लिए Stock Limit Order के तहत Paddy, Rice, Pulses, Sugar, Edible oil seeds इत्यादि के बारे में घोषणाएं की गईं और उन पर अमल करना शुरू किया गया। भारत सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र्स के साथ-साथ अगर हम लगातार उत्पादन बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यह समस्या कभी हल नहीं हो सकती है। अगर हमें यह समस्या हल करनी है, तो हमें उत्पादन बढ़ाना ही होगा और इसके साथ-साथ किसानों को उचित कीमत देने के लिए कदम भी उठाने होंगे।

एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र्स के तहत और कुछ भी कदम उठाए गए, जैसे Public Distribution System में Central Issue Price में बदलाव नहीं किया गया, सरकार की तरफ से ओपन मार्किट में गेहूं और चावल बेचकर, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाकर एक तरह से प्राइस पर नियंत्रण रखने की कोशिश की गई, एडिबल ऑयल और पल्सिज़ विदेश से मंगवाकर, उसके ऊपर 10 से 15 रुपये की सब्सिडी देकर, Public Distribution System के माध्यम से लोगों को अवेलेबल करवाने की कोशिश की गई, राज्य सरकारों को उनकी डिमांड के अनुसार सामान देकर सहयोग किया गया। इसके साथ ही साथ और भी कई आइटम्स ऐसी हैं, जिन पर डायरैक्टली या इन्डायरैक्टली रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई, जिससे एक प्रकार से कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके लिए समय-समय पर MEP को बढ़ाने का काम किया गया, जिससे इन्डायरेक्टली एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का काम भी हुआ और देश में इसकी एवेलेबिलिटी भी बढ़ गई।

जब कभी-भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार को दो रास्ते अपनाने की तैयारी हमेशा रखनी पड़ती है। पहला, उस वस्तु की एवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए दुनिया में हमारे यहां पर माल कैसे आएगा, कैसे उसकी उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, किस प्रकार से उस वस्तु का प्रोडक्शन अपने देश में ही बढ़ाया जा सकेगा।

2.00 P.M.

हमारे देश में जब सूखे की परिस्थिति पैदा हो गई, तब इस बात की ओर ध्यान दिया गया कि किसी प्रकार अगर हम कुछ फसल बचा सकें, तो बचाएं और उसके लिए राज्य सरकार को मदद भी की गई। इसमें पहला कदम बिहार सरकार ने अपने राज्य में ड़ीजल सब्सिडी इंट्रोड्यूस करके उठाया और वहां की धान की फसल बचाने की कोशिश की। इसमें भारत सरकार का पूरा योगदान रहा और उनके लिए 1000 करोड़ का बजटरी प्रोवीज़न किया गया और उनकी तरफ से हिसाब-किताब आने के बाद तुरन्त ही इसका पैसा देने की तैयारी की गई। इस परिस्थिति में सबसे बड़ा योगदान पंजाब और हरियाणा ने दिया। वहां पानी की कमी थी और बिजली की भी कमी थी। वहां पर धान की फसल बचाने की आवश्यकता थी, इसलिए अन्य राज्यों से बिजली खरीदकर, उसकी ज्यादा कीमत देकर...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Just a minute, please. Hon. Members, according to the List of Business, at 2.00 p.m. Private Member's business is to be taken up. If the House agrees, we shall take it up after the reply is over. Please continue, Mr. Minister.

श्री शरद पवार : सर, वहां बाहर से ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदकर उसे किसानों को देकर फसल बचाने की आवश्यकता थी, इसलिए पंजाब और हरियाणा सरकारें किसी की राह देखने के लिए नहीं रुकीं। उन्होंने खुद इसमें initiatives लिए और अपने राज्य में धान की फसल बचाने की कोशिश की। इसमें भारत सरकार ने उनको 14 सौ करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने फसल बचाकर देश के अनाज की समस्या, खास तौर पर धान की समस्या जो कि और ज्यादा गम्भीर रूप ले सकती थी, उससे बचाने की कुछ कोशिश की तो इसमें उनकी भी ठीक तरह से मदद करने का काम भारत सरकार की ओर से किया गया। हम यहां रुके नहीं हैं। Ultimately अगर इस परिस्थिति में हमें निकलना हो तो जैसा मैंने पहले कहा कि भारत जैसे देश के सामने अनाज के उत्पादन को बढ़ाना ही इसका एक रास्ता है। आप कब तक दुनिया के सामने हाथ फैलाएंगे या वहां से खरीदने जाएंगे, इसीलिए धान और गेहूं की कीमत बढ़ाने की कोशिश की गई। जिस गेहूं की कीमत 6 सौ रुपए प्रति क्विंटल थी उसकी कीमत 1100 रुपए तक ले जाकर किसानों को राहत देने की एक कोशिश की गई। उसी तरह जिस धान की कीमत 480-490 रुपए तक थी उसको 1030 रुपए तक ले जाकर वहां के किसानों को एक तरह से राहत देने की कोशिश की गई। इस तरह कीमत ज्यादा देकर भी किसानों को राहत देने का काम किया गया। इसका असर यह हुआ कि अपने देश में पिछले दो सालों में हमारा उत्पादन बढ़ गया।

सर, हम प्रोक्योरमेंट हर साल करते हैं। कई सालों का इतिहास देखने के बाद हम पाते हैं कि हमारा प्रोक्योरमेंट हमेशा तीन सौ, साढ़े तीन सौ या चार सौ लाख टन के आसपास होता था, 35, 40, 45 मिलियन होता था, मगर पिछले दो सालों में केवल गेहूं का प्रोक्योरमेंट 250 लाख टन का हो गया और खरीफ या पैडी का प्रोक्योरमेंट 330 से

340 लाख टन का हो गया। पांच-साढ़े पांच सौ के आसपास के प्रोक्योरमेंट तक कभी हम पहुंचे भी नहीं थे, वहां तक पहुंचने में हम कामयाब हो गये। भले ही वह सूखे का सीजन हो फिर भी हम लोग इसमें कामयाब हो गए। आज मुझे यह कहने में संतोष है कि हिंदुस्तान के भंडारों में हमारे देशवासियों की आगे के एक साल की जो आवश्यकता है उतना अनाज आज अपने पास है और लोगों के भूख की समस्या दूर करने की ताकत आज हमारी सरकार में है।

आज एक तरफ से उपलब्धता बढ़ाना, availability बढ़ाना और दूसरी तरफ से कीमतों पर ध्यान देना तथा इसके साथ ही vulnerable sections को कोई तकलीफ न हो इस पर भी ध्यान देना, इन बातों पर भी कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी। इस संबंध में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया कि Public Distribution System में गेहूं और चावल की Central Issue Price जो तय हुई थी, वह 2002 में तय की गई थी। 2002 से 2010 तक गेहूं और चावल को खरीदने की कीमत में 600 से 650 रुपए तक की बढ़ोत्तरी की गई, मगर उसमें इतनी बढ़ोत्तरी करके तथा किसानों को इतना ज्यादा दाम देने के बावजूद Public Distribution System के माध्यम से आम लोगों को जो गेहूं और चावल की सप्लाई की गई, उसकी कीमत आज भी 2002 में तय कीमत के अनुसार ही है। फूड सब्सिडी का जो बिल 18 या 19 हजार के आसपास आता था, शायद इस साल वह 62 या 70 हजार करोड़ तक जाएगा। इतना बड़ा बोझ भारत सरकार ने समाज के गरीब लोगों को इसका बंटवारा करने के लिए बिल्कुल जिम्मेदारी से स्वीकार किया और हम आज भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। जब मैंने कहा तो एक बात सदन में यह कही गई कि आप procurement अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप procurement तो बढ़ाते हैं, मगर आपके पास भण्डारण की व्यवस्था कम है।

मैं इसको स्वीकार करना चाहता हूं कि हमारे पास एक scientific तरीके के warehouses and godowns कम हैं। इस काम के लिए प्लानिंग कमीशन ने 125 करोड़ रुपए की एक राशि दी है। इसके साथ-साथ, हम केवल एफसीआई के godowns बनाने तक रुकना नहीं चाहते। अगर अन्य क्षेत्रों के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हों तो उनको कुछ न कुछ गारंटी मिलनी चाहिए और इसलिए हमने एक नई स्कीम शुरू की कि जहां हमें भण्डारण की आवश्यकता है, अगर वहां कोई warehouses बनाएगा तो उस warehouse की capacity 7 सालों के लिए हम book करेंगे और उसकी rental responsibility को पूरी तरह से हम लेंगे। हम एक तरह से राहत देकर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए उनको encourage करेंगे। इस तरह से कुछ कदम उठाये गये। दूसरे, जो DCP states हैं, वहां साल तक की गारंटी देकर एक नये तरह का रास्ता दिखाया गया। अब मुझे विश्वास है कि इससे परिस्थितियों में बदलाव आएगा। इसके साथ-साथ जहां CAP system है, वहां भी अनाज का नुकसान न हो, इस पर बड़ी कड़ी निगरानी रखी गई है। Food Corporation of India के पास जितने warehouses हैं और उनके जितने materials हैं, उन सब को देखने के बाद अगर आप इसके साल-दो साल के नुकसान के आंकड़े देखेंगे तो total volume और नुकसान, इसमें not even half per cent से भी कम होता है। फिर भी सदस्यों ने जो कहा, वह मुझे मंजूर है कि इस

पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। आज देश को modern warehouses की जरूरत है, हमारी तरफ से इस पर कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इस प्रकार की भण्डारण की स्थिति है।

इसके साथ-साथ, एक और बात यहां कही गई है कि 1997 से Public Distribution System में बदलाव लाया गया है। यह बदलाव ऐसा लाया गया कि जो समाज का कमजोर वर्ग है, उसके हितों की रक्षा करने के लिए ज्यादा ध्यान दिया गया और जिनकी स्थिति ठीक है, उनके allocation पर एक अलग view लिया गया। इसको Targeted Public Distribution System कहते हैं। इसमें जो BPL category है, जो AAY category है, इन दोनों categories को शुरु में 10 किलो ग्राम अनाज मिलता था। इसमें बाद में सुधार किया गया और यह 20 किलो ग्राम हो गया। फिर यह 20 किलो ग्राम से 25 किलो ग्राम हो गया। जब हमारी भण्डारण की परिस्थिति बहुत ही अच्छी हो गई तो यह 25 किलो ग्राम से 35 किलो ग्राम तक किया गया और आज भी 2002 की कीमतों से इन वर्गों को 35 किलो ग्राम अनाज देने का प्रबंध किया गया है। मगर, जो APL category है, उसे इसकी limited supply होती है जो 10 या 11 किलो तक की होती है। नॉर्थ-ईस्ट, लक्षद्वीप या अंडमान जैसे कुछ राज्य जहां उत्पादन कम होता है, वहां आज की परिस्थिति में APL category को भी 35 किलो ग्राम देने का इंतजाम हो जाता है, मगर मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश के बाकी हिस्सों में APL category को हमारे stock availability के आधार पर उसका distribution या allotment किया जाता है।

एक demand आ रही है और जिस पर इस सदन में कई बार चर्चा भी हुई कि आप Targeted Public Distribution System (TPDS) बंद कीजिए और सभी लोगों को Public Distribution System के माध्यम से अनाज देने का प्रबंध कीजिए। हमें यह देखना होगा कि हम इसे कहां तक कर सकते थे। इससे पहले ऐसा हम कभी नहीं करते थे और जब हम करते थे तब 35 किलो कभी नहीं देते थे। एक जमाना था जब हमारा distribution 15 किलो, 10 किलो और 7 किलो तक भी होता था, बाकी सब बाजार में लाने के लिए एक आवश्यकता पड़ती थी। यह सभी वर्गों के लिए, यानी गरीबों के लिए भी वही थी, AAY category के लिए भी वही थी, BPL वालों के लिए भी वही थी, यानी पहले category system नहीं था। हम सभी के लिए एक uniform policy के आधार पर काम करते थे, इसके कारण समाज के गरीब वर्गों को सबसे ज्यादा कीमत देनी पड़ती थी। इसलिए इन गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए 1997 में Targeted Public Distribution System की शुरुआत हुई। इस बीच कई सरकारें आईं - चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे पिछले 5-6 सालों से चल रही डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार हो - यह पॉलिसी लगातार चल रही है। जिस दिन हम Universal Public Distribution System को स्वीकार करेंगे, उस दिन हमें यह देखना होगा कि हमारी requirement क्या है? जैसा मैंने कहा कि This year and last year, we have purchased maximum. Our maximum procurement level has gone upto 560 lakh ton, दोनों सालों का मिलाकर 54 million ton के आस-पास है। जब हम सभी के लिए वही सिस्टम introduce करेंगे, वही प्रैक्टिस introduce करेंगे, वही स्केल कायम करेंगे, तो अपने देशवासियों के लिए हमें कम से कम 700 लाख टन का procurement करना

पड़ेगा। आज तक इस देश में इतना procurement नहीं हुआ है। जब हम आज के सिस्टम के हिसाब से साढ़े पांच सौ लाख टन के आस-पास procurement करते हैं, तो हम सारे देश की जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, हम buffer stock रख सकते हैं तथा हम buffer stock के अलावा थोड़ा ज्यादा माल भी रख सकते हैं तथा इसमें सरकार पर कोई pressure नहीं रहता है।

उपसभाध्यक्ष जी, अब यह डिमांड क्यों आई? मुझे लगता है कि यह डिमांड इसलिए आई कि इससे पहले Targeted Public Distribution System होने के बाद भी APL category की डिमांड इतनी बड़ी नहीं थी और चूंकि इसकी डिमांड ज्यादा नहीं थी, इसलिए APL के रेट और मार्केट के रेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। APL का जो रेट था, उसी के आस-पास मार्केट का रेट था, इसलिए आम जनता मार्केट से खरीदना पसंद करती थी। 2002 से आज तक हमने APL के रेट में बदलाव नहीं किया और दूसरी तरफ Minimum Support Price को बढ़ाकर गेहूं की कीमत 600 रुपए से 1,180 रुपए तक बढ़ा दी, चावल की कीमत 500 रुपए से 1,050 रुपए तक बढ़ा दी, जिसके परिणामस्वरूप APL कैटेगरी की कीमत और मार्केट की कीमत में अंदर बढ़ गया। इसलिए APL कैटेगरी की डिमांड भी बढ़ गई। इस देश में APL कैटेगरी की खरीद कभी भी 30 या 35 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन आज यह खरीद 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत तक जा पहुंची है, क्योंकि कीमतों में इतना अंतर है।

आज सदन में वृंदा जी ने यह डिमांड की कि Minimum Support Price में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। हमें मंजूर है, कृषि का उत्पादन बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी, इसलिए सरकार इस बारे में सोच सकती है। इसके साथ-साथ उन्होंने यह सुझाव भी दे दिया कि आप Minimum Support Price बढ़ाइए, लेकिन APL की कीमत बढ़ाने का काम मत करिए, यानी 2002 वाली कीमत ही रखिए। आज हम 65,000 या 75,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की जिम्मेदारी लेते हैं, मुझे मालूम नहीं कि वह कहां तक जाएगी और उसके लिए पैसा कहां से आएगा? दूसरी बात यह है कि हम Minimum Support Price बढ़ाने के बाद भी, APL के लिए 2002 की कीमत रखकर Public Distribution System से universalization करेंगे, तो पूरे देश का अनाज खरीदने का काम सरकार को करना पड़ेगा। मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार एक resolution पास किया था और nationalisation of food distribution के बारे में निर्णय लिया था, लेकिन 7-8 दिनों में ही सरकार को वह निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि ऐसे निर्णय पर अमल करना इतना आसान नहीं था। जब हम इतने बड़े पैमाने पर procurement करेंगे, तब किसानों की स्थिति क्या होगी, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। जब हम इतने बड़े पैमाने पर procurement करने का लक्ष्य रखेंगे और हमारा procurement नहीं होगा, तो हमें import करना पड़ेगा और मुझे याद है कि पहले एक ज़माना ऐसा था कि PL-480 के गेहूं पर यह देश निर्भर रहता था और इससे इस देश की खेती तथा किसान ध्वस्त हुए। देशवासियों की परिस्थिति खराब हुई थी। इसलिए इस परिस्थिति में बदलाव लाना हो, तो किसानों को कीमत देनी चाहिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो vulnerable section हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए Public Distribution System में उनको शामिल करके उनको ठीक तरह से उचित कीमत, कोई ज्यादा कीमत नहीं, पर अनाज देने का प्रबंध करना चाहिए और जिसकी देने की ताकत है, हैसियत है, उसको पुराने जमाने में जैसे होता था, उसी तरह से

कीमत चार्ज करने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। यह काम हम लोगों को करना होगा और हम इस रास्ते से जाना चाहते हैं।

Public Distribution System के बारे में कई बातें कही गई हैं। यह ठीक है कि आप vulnerable section में देते हैं, लेकिन vulnerable section में कौन लोग आते हैं? बीपीएल। बीपीएल के बारे में सदन में बहुत कुछ चर्चा हो गई। आज बीपीएल के अलग-अलग definitions हो गए हैं और देशवासियों के सामने अलग-अलग आंकड़े आ गए हैं। श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्त रिपोर्ट कहती है कि 77 प्रतिशत लोग बीपीएल हैं, सक्सेना रिपोर्ट कुछ और कम कहती है, तेन्दुलकर रिपोर्ट कहती है कि 37.2 प्रतिशत लोग बीपीएल हैं, प्लानिंग कमीशन कहती है कि 27.5 प्रतिशत लोग बीपीएल हैं और अभी कुछ और कम होने की संभावना है। आज तक प्लानिंग कमीशन ने जो recommendations की हैं, भारत सरकार ने उनको स्वीकार किया है। जब मेरे सामने एक-दो-तीन-चार अलग-अलग आंकड़े आते हैं, तो इनमें से किसको स्वीकार करूं। एक बात अच्छी हुई कि मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई और इस बैठक में यह तय हुआ कि प्लानिंग कमीशन को इस बारे में कुछ न कुछ कदम उठाना होगा और एक प्रकार की सलाह भारत सरकार और राज्य सरकारों को देनी होगी। मुझे विश्वास है कि इस महीने में हम लोगों को प्लानिंग कमीशन का अंतिम निर्णय पता लगेगा और जो कुछ उसकी recommendation होगी, इसकी सिफारिश को भारत सरकार मानेगी और इसके ऊपर अमल करेगी। यह जो एक समस्या है कि बीपीएल category में कौन आता है और बीपीएल को identify करने के लिए अलग-अलग experts ने जो अलग-अलग कदम उठाए हैं, इनमें से सोच कर किसी एक पर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह निर्णय प्लानिंग कमीशन लेगी और वह देशवासियों के सामने आएगा। इस आधार पर हम आगे जाने के लिए तैयार हैं।

महोदय, सदन में एक बात बार-बार कही गई कि Food Security Bill के बारे में जो announcement हुई है, तो उस पर जल्द-से-जल्द कुछ काम होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में 'Food for All' की भी बात कही और साथ ही साथ यह बात भी कही कि हम बीपीएल category को तीन रुपए प्रति किलो अनाज देने के लिए कदम उठाएंगे। इस तरह का एक विश्वास देशवासियों को दिया। इस बिल का ड्राफ्ट मेरे मंत्रालय ने तैयार किया है। हम इस पर बहस कर रहे हैं, क्योंकि इसका अमल राज्य सरकारों को करना पड़ेगा, इसलिए राज्य सरकारों को confidence में लेना पड़ेगा। हमने सभी प्रदेशों के Food Civil Supply के Secretaries की मीटिंग बुलाई और राज्य सरकारों के साथ भी इस बारे में डिसकस कर रहे हैं। हमें इस पर मुख्य मंत्रियों की भी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। हमें प्लानिंग कमीशन में भी बाकी लोगों से इस पर सलाह लेनी पड़ेगी। इसका ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इसको कैबिनेट में दिखाकर उसका clearance लेकर इसको internet पर publish करके इस पर देशवासियों का क्या reaction है, हम वह जानना चाहते हैं। जो reaction आएगा, उसको देख कर इस बिल को अंतिम स्वरूप देकर इसको पार्लियामेंट में लाने की बात हम लोगों ने तय की है। इस रास्ते में हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं। हम Food Security Bill को सदन में सामने लेकर आएंगे, मगर सदन के सामने आने से पहले पूरे देशवासियों को खास

करके स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिनके ऊपर इसके अमल की पूरी जिम्मेदारी है, उनको पूरी तरह से विश्वास में लेकर इसका अंतिम स्वरूप final करेंगे और फिर देशवासियों के सामने इस बारे में आएंगे, मैं यह विश्वास सदन के माध्यम से देशवासियों को देना चाहता हूं।

एक बात बताई है कि आज कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, इस पर ध्यान रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए Consumer Affairs Department में कुछ काम नहीं हो रहा है। यह बात सच नहीं है। Consumer Affairs Department के माध्यम से हर दिन कुछ चीजों की देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों में क्या कीमत है, इस बारे में information collect की जाती है। और जब हमें लगता है कि कुछ एरियाज़ में कुछ बदलाव आ रहा है तो वहां पर अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इस पर ध्यान दिया जाता है। जब पूरे देश में कुछ कमियां हों तो इस बारे में भी सोचा जाता है। इस संबंध में प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है। इसके बाद जो भी रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार जो कदम उठाने की आवश्यकता होती है, वे उठाए जाते हैं। एक बात यहां पर कही गई कि कई-कई महीनों में मीटिंग होती है। यह बात सच नहीं है। केबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में concerned secretaries की एक कमेटी हर 15 दिन में बैठती है जो, जिस आइटम की कीमतें ऊपर जा रही होती हैं, इस पर ध्यान देकर उस संबंध में सुझाव देती है और ultimately मंत्रालय इस संबंध में कदम उठाता है - चाहे इम्पोर्ट का हो, चाहे ड्यूटी लगाना हो, चाहे एक्सपोर्ट बैन करना हो, चाहे कोई सब्सिडी देकर आम जनता को मदद देकर लोगों को मदद देने का मामला हो। इस तरह का कोई सुझाव हो सकता है, जिसको हमेशा सरकार के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। इसके साथ-साथ Essential Commodities Act में जो सुविधाएं हैं, उन पर पूरी तरह से अमल में लाने की भी कोशिश की जाती है। इस संबंध में कई लोगों के ऊपर केसेज़ किए गए, कई लोग prosecute किए गए, रेड डाली गई, हजारों की संख्या में रेड डाली गई, हजारों की संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया, prosecute किया गया और कुछ लोगों को अब तक सजा भी मिली है। राज्य सरकारों ने इससे पहले 2002-03 में इस संबंध में अधिकार कम किए थे, लेकिन आज इसकी आवश्यकता का देखते हुए फिर से स्टेट गवर्नमेंट्स को इस संबंध में ज्यादा अधिकार देने का काम किया गया है और इसका आधार लेकर बहुत से राज्यों ने इस पर अमल करने का काम शुरू किया है। इस प्रकार इस पर भी ध्यान दिया गया है।

महोदय, एक आखिरी मुद्दा मैं सदन के सामने और रखना चाहता हूं। यहां पर चीनी के बारे में बहुत सी बातें कही गईं। यह बात सच है कि अगर किसानों को कीमत ठीक मिलती है तो उत्पादन बढ़ता है। जब कीमत कम होती है तो उसका असर उत्पादन पर होता है। यह बात भी सच है कि दो साल पहले हिन्दुस्तान में जितनी चीनी की जरूरत थी, उससे काफी ज्यादा चीनी का उत्पादन हुआ था और जगह-जगह पर किसानों को चीनी मिलों की ओर से गन्ने की जितनी कीमत देने की आवश्यकता थी, उतनी कीमत वे नहीं दे सके इसलिए आउटस्टेंडिंग अमाउंट 4000, 5000 और 6000 करोड़ तक पहुंच गया। इस संबंध में रास्ता निकालने के लिए कुछ कदम उठाए गए। बफर स्टॉक का निर्माण किया गया, उसके साथ-साथ एक्सपोर्ट करने के लिए encourage किया गया, उसमें सब्सिडी दी गई।

इस तरह से स्टॉक कम करने की कोशिश की गई जिससे मिल को राहत मिले और मिलों के माध्यम से किसानों को भी राहत देने का काम किया गया। लेकिन जो पूरी दुनिया में चीनी की कीमतें नीचे आई थी, उसका असर गन्ने की कीमत पर हुआ फिर उसका असर उत्पादन पर हुआ। उत्पादन कम हुआ और इसलिए पिछले साल चीनी की कीमतें ऊपर गईं। यह हम सब लोगों ने देखा। इसमें सुधार किया गया और मुझे खुशी है कि जैसा हमें अनुमान था कि इस साल 140 या 150 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा, वह आज 180 लाख टन के आस-पास पहुंच गया है और इससे भी हम आगे जाएंगे। अगले साल के लिए जो गन्ने का टोटल प्लांटेशन पूरे देश में होगा, वह देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास सरप्लस की समस्या पैदा हो जाएगी और इतनी चीनी देश में पैदा हो जाएगी जिससे चीनी की समस्या हल करने में हमें कामयाबी मिलेगी। इसके साथ-साथ इसके एक्सपोर्ट के बारे में भी हमें सोचना होगा। ...(**व्यवधान**)... इस प्रकार चीनी के बारे में हमने यह सब किया। महोदय, सभी सेक्शंस में हमेशा हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि कीमतों पर कंट्रोल कैसे हो, उपलब्धता कैसे बढ़े, राज्य सरकारों के ऊपर जो जिम्मेदारी है, उसको ठीक तरह से कैसे निभाएं और जहां-जहां पर इस संबंध में सुधार करने की आवश्यकता है, वह करें। महोदय, मैं सदन के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि BPL के बारे में एक बार प्लानिंग कमीशन के माध्यम से क्लैरिटी आने के बाद आज जो स्थिति पैदा हुई है, लोगों में जो यह संदेह हो रहा है कि वहां डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ गलतियां होती हैं, fake card की बात की जाती है, उसके साथ-साथ कुछ लोग कहते हैं कि कूपन दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि कैश सब्सिडी दीजिए। इस पर हम फाइनल डिसीज़न जरूर लेंगे।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अगर हम कूपन्स का सिस्टम introduce करेंगे तो शायद हमारे देश में गलत काम भी हो सकता है। और जब कैश सब्सिडी की बात यहां कही गई, कुछ राज्यों ने भी इस तरह की डिमांड की, मुझे लगता है कि इस पर भी हमें गंभीरता से ध्यान देना होगा, क्योंकि एक गरीब आदमी को कैश देने के बाद वह सभी एमाउंट अनाज खरीदने के लिए कहां तक जाएगा और अन्य कामों के लिए कहां तक जाएगा, यह भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी के बारे में एन.जी.ओज. का और कई संगठनों की अलग-अलग राय को भी हमें ध्यान में लेना होगा। इस पर भी हम सूचना लेंगे। इसके साथ-साथ कई राज्यों ने हमारे सामने सुझाव दिए हैं कि हम यहां स्मार्ट कार्ड सिस्टम इंटरोड्यूज करना चाहते हैं। दो राज्यों को इसकी इजाजत देने का काम हमने तय किया है और वह कामयाब होगा तो पूरे देश में इसको स्वीकार करके इसमें और साइंटिफिक सिस्टम कैसे हो सकता है, इस पर हमारा ध्यान रहेगा और इस रास्ते से हम जाने के लिए तैयार हैं, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। परिस्थिति गंभीर थी, अनाज की उपलब्धता कम थी, दुनिया में इसकी कीमतें ऊपर गई थीं। ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की गई, उत्पादन बढ़ाने के लिए साथ-साथ कोशिश की गई। एक तरफ से उत्पादन बढ़ाना और दूसरी तरफ से ठीक तरह से डिस्ट्रिब्यूशन हो, इस पर ध्यान देना, ये दोनों दृष्टिकोण इस डिपार्टमेंट के माध्यम से स्वीकार करके हम आगे लाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि परिस्थितियों में बदलाव आएगा।

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, I have a query.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Just ask the question.

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, regarding the buffer stock, the Minister has commented, in this time, in the Economic Survey, many times the storage has taken place beyond the limit. Why is the Government doing this? Why is the excess amount not going to the BPL or the APL families? Why is the Government giving extra godown rent to store the grain which is beyond the limit of buffer stock?

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, our Minister is one of the experienced Ministers in the Government. I would like to ask him why he should rule out the issue of universalizing the public distribution system. It is not the demand only from the Left. I understand many eminent economists have raised that issue that India should think of universalizing the public distribution system. ...*(Interruptions)*... Having said that, the right to food cannot by targeted to one particular section , as the Minister calls it BPL. About BPL, he has many criteria ...*(Interruptions)*... and he will go by the Planning Commission. But my point is right to food must be a universal right to all citizens. That is how it should be understood. What is the thinking of the Government?

श्री एन.के. सिंह (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने उत्तर में यह संकेत किया है कि जिस पॉवर्टी एस्टीमेट को योजना आयोग स्वीकार करेगा, उसी को सरकार स्वीकार करेगी। उन्होंने स्वयं बताया है कि 6 तरह के आंकड़े सरकार के समक्ष उपलब्ध हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानने की अपेक्षा कर रहा हूं कि क्या प्लानिंग कमीशन द्वारा जो स्वीकृत होती है उसके औचित्य के बारे में विचार करने के लिए इस सदन में और आम लोगों को कोई अवसर नहीं मिलेगा?

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है। फूड डिस्ट्रिब्यूशन, फूड राइट, सब विषयों का मूल है कि अपनी खेती की जो स्थिति है, वह एग्रीकल्चर कॉलेप्स की तरफ जा रही है। जैसे चीनी के बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि अभी फिर से बहुत ज्यादा स्टॉक होगा। अभी आलू की भी समस्या है। तो ऐसी जो समस्याएं पैदा होती हैं। इसके लिए बहुत अच्छे सुझाव देने वाला जो स्वामीनाथन कमीशन अपनी 5 साल से सिफारिश दे चुका है, उसकी रिपोर्ट लोगों के लिए भी आज प्रकाशित नहीं है, उसको आज स्वीकार भी नहीं किया, छापा भी नहीं है, तो क्यों नहीं किया है?

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (झारखंड) : उपसभाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न, चावल और गेहूं के बारे में मेरा यह कहना है कि इनके ट्रांसपोर्टेशन में समय भी काफी लगता है और जो स्टेट चावल ज्यादा उपजाते हैं,.....। जो कि धान बेस्ड स्टेट्स हैं, हम वहां उस स्टेट को, चावल खरीदने के लिए पैसा देने का प्रॉविजन करें। ऐसा करने से जो

किराया पंजाब और हरियाणा से वहां पर पहुंचाने में लगता है, वह पैसा सेव होगा। उसको स्टेट्स खरीदेंगी और चावल का मूल्य भी कम होगा। इसीलिए एफसीआई के माध्यम से उसी स्टेट में खरीद हो, वहीं पर खरीद हो, ताकि वहां के किसान समृद्ध हों और इससे डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम अच्छा होगा।

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल) : सर, मैंने कुछ स्पेसिफिक सवाल रखे थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद पवार : ट्रेडिंग फार वायलेशन। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती वृंदा कारत : सर, मैं जानती हूं। अभी मैंने अपने साथियों से पता लगाया है। मैं माफी चाहती हूं, मुझे मालूम नहीं था कि आप 2.00 बजे जवाब देंगे, नहीं तो मैं जरूर आती। लेकिन मैंने कई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे थे। उनमें से एक था कि बफर स्टाक में जो इस समय इतना ज्यादा खर्च हो रहा है, उसकी वास्तविक फिगर्स क्या हैं? आज हमारे पास एक्सेस बफर स्टाक है और उस बफर स्टाक से 18 सैक्शन्स के लिए, जो पहले आप सब्सिडाइज्ड रूप में देते थे, क्योंकि बफर स्टाक एक्सेस है इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा खर्च हो रहा है, आपने 73 परसेंट सब्सिडाइज्ड फूडग्रेन्स को काटा है, क्या आप उसको रेस्टोर करेंगे? एक मेरा प्रश्न यह था। It makes not only moral sense but also ethical sense.

श्री बृज भूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार से यह जानना चाहा था कि जो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि बाजार में मूल्य इस मूल्य से नीचे नहीं गिर पाये और सरकार किसानों के हितों का संरक्षण करे। जैसा कि मैंने कहा कि आज भी उत्तर प्रदेश है, बिहार है या और भी कई इलाकों में जो क्रय केन्द्र हैं, उनमें राज्य सरकारों के भी क्रय केन्द्र हैं और केन्द्र सरकार की एफसीआई या अन्य एजेंसियां हैं, इनके भी क्रय केन्द्र हैं, ये क्रय केन्द्र ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। वहां पर किसानों के अनाज की खरीद नहीं होती है। बाजार के माध्यम से ज्यादातर किसानों, और विशेषकर जो छोटे किसान हैं, उनके अनाज की खरीद होती है। वहां पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उनके बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार (गुजरात) : सर, मेरा प्रश्न यह है कि ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No more questions. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद पवार : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने इसका पहले भी जवाब दिया है। मगर ये सवाल फिर से उठाए गए हैं, इसलिए मैं इनका जरूर जवाब देना चाहता हूं। तिवारी जी ने एक बात कही कि मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय करने के बाद कुछ राज्यों में किसानों को वह कीमत नहीं मिलती है, इस तरह की शिकायतें खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार से आनी शुरू हुई हैं, इसमें कुछ सच्चाई है और मेरे कानों तक भी यह बात आ गई है। एक बात यह है कि मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय करने के बाद, इस पर अमल करने के लिए भारत सरकार की कुछ जिम्मेदारी है,

खासकर एफ.सी.आई. की। इसके साथ ही एफ.सी.आई. को सहयोग देने के लिए और फील्ड लेवल पर काम करने के लिए, चाहे को-ओपरेटिव स्टेट की मशीनरी हो, स्टेट का सिविल सप्लाई कारपोरेशन हो या स्टेट का अन्य आर्गनाइजेशन हो, उन सब की सहायता लेनी पड़ती है। पंजाब और हरियाणा की बात आज यहां भी कही गई। पंजाब और हरियाणा में प्रिक्योरमेंट आपने देखा है, वहां पर 80-90 परसेंट प्रिक्योरमेंट एफ.सी.आई. नहीं करती है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं, वे इस काम को करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की उन एजेंसीज को अनाज की प्रिक्योरमेंट करने के लिए, अगर आवश्यकता पड़े तो हम एफ.सी.आई. के माध्यम से एडवांस पैसे देते हैं। उन एजेंसीज़ द्वारा अनाज खरीदने के बाद, उस पूरे स्टाक को खरीदने की जिम्मेदारी एफ.सी.आई. लेती है और साथ ही साथ जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट होती है, खरीदने की जो कीमत होती है, उस पर जो कास्ट लगती है, चाहे वह कमीशन हो, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स हो, इस तरह की सभी रकम राज्य सरकारों को अदा करने का काम एफ.सी.आई. के माध्यम से किया जाता है। यह काम हरियाणा और पंजाब में अच्छी तरह से होता है, इसलिए वहां पर कोई समस्या नहीं आती है। अन्य जो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, वह ठीक तरह से काम करते हैं, फिर भी हमारे सामने कोई न कोई समस्या आती है। कुछ राज्यों में इस तरह का काम करने के लिए ज्यादा धन देकर कुछ संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, यह किया नहीं जाता है और इसका बुरा असर हो जाता है। क्योंकि अल्टिमेटली हर गांव में, आप यह देखिए, ...(**व्यवधान**)...

डा. अखिलेश दास गुप्ता (उत्तर प्रदेश) : सर, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है ...(**व्यवधान**)... हमारा तीन हजार करोड़ रुपए का बकाया है, आपके विभाग के अंदर। ...(**व्यवधान**)... इस तरह माननीय मंत्री ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : सर, ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... This is not allowed. ...*(Interruptions)*... Let him finish. ...*(Interruptions)*... Please allow the Minister. ...*(Interruptions)*... Let him finish the reply. आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... Let the Minister complete his reply. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Let the Minister finish. ...*(Interruptions)*...

डा. अखिलेश दास गुप्ता : क्या आपने कम्पलीट रिकार्ड चैक करवाया है? ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादव : सर, ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Let the Minister finish the reply. ...*(Interruptions)*... राम गोपाल जी, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप भी बैठिए। ठीक है, हो गया। ...(**व्यवधान**)... Allow the Minister to complete the reply. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... हो गया ...(**व्यवधान**)... हो गया, हो गया। ...(**व्यवधान**)... That will not go on record. ...*(Interruptions)*... Only what the Minister says will go on record. ...*(Interruptions)*...

डा. अखिलेश दास गुप्ता : उनको बदनाम करने के लिए वे किसान विरोधी हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is not going on record. ...*(Interruptions)*... The Minister has not yielded. ...*(Interruptions)*... That is not going on record. ...*(Interruptions)*... I am on my legs. ...*(Interruptions)*... Mr. Akhilesh Das Gupta, the Minister is giving the reply. He has not yielded. So far whatever you have said is on record. ...*(Interruptions)*... Nothing more will go on record. ...*(Interruptions)*... Nothing more will go on record. ...*(Interruptions)*...

डा. अखिलेश दास गुप्ता : *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Not permitted. ...*(Interruptions)*... Mr. Minister, please proceed. ...*(Interruptions)*... He is replying to the queries. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद पवार : यहां उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का नाम लिया गया, लेकिन मैंने यहां पर किसी का नाम नहीं लिया। मैंने यह बात जरूर कही कि मेरे पास ऐसी शिकायतें आई हैं। मैं अखबार की कटिंग ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. ...*(Interruptions)*...

डा. अखिलेश दास गुप्ता : *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Nothing is going on record. Dr. Akhilesh Dasji, please sit down. अरे भाई, sit down. Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... चिल्लाने से क्या फायदा होगा, चिल्लाने से क्या फायदा होगा। ...(**व्यवधान**)... कोई फायदा नहीं। ...(**व्यवधान**)... बैठिए। Let the Minister reply. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री गंगा चरण : *

श्री बृजलाल खाबरी : *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You sit down. ...*(Interruptions)*... You take your seat. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. Then, why do you waste your time? ...*(Interruptions)*...

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is not yielding. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... I am helpless. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

---

* Not recorded.

डा. अखिलेश दास : मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Dr. Akhilesh Das Gupta, you write to the Minister. ...*(Interruptions)*... You can write to the Minister. ...*(Interruptions)*... He is a Minister. He is not yielding. ...*(Interruptions)*... I cannot do anything. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद पवार : जैसा कि मैंने यहां पर सदन के सामने यह बात साफ कही है कि हिंदुस्तान में जितनी मंडियां हैं, इन सभी मंडियों में एफ.सी.आई. के लिए अपना सेंटर शुरू करना इतना आसान नहीं है और इनके पास इतना स्थान भी नहीं है, इसलिए राज्य सरकार की मदद लेकर, राज्य सरकार को इसमें पूरी तरह से सहयोग देकर इसे खरीदने का इंतजाम पूरे देश में होता है। यह कई सालों से हो रहा है। मैंने यहां पंजाब और हरियाणा की मिसाल दी कि अस्सी, नब्बे परसेंट तक वहां की स्टेट गवर्नमेंट खरीदती हैं और इसी तरह का सहयोग बाकी राज्यों में भी मिलना चाहिए। कुछ जगहों पर कोई समस्या हो सकती है, वह समस्या दूर करने के लिए हम अवेलेबल हैं। हमारी किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और शिकायत करने की भी बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने किसी के खिलाफ आरोप नहीं कहे हैं, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप सभी परचेज सेंटर्स पर, सभी मंडियों में एफ.सी.आई. के पास इतनी शक्ति, इतनी स्ट्रेन्थ नहीं है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इसका असर बुरा होता है।

जहां तक दूसरा सवाल पूछा गया था कि आप पंजाब और हरियाणा में धान खरीदते हैं, बाकी राज्यों में क्यों नहीं खरीदते हैं, तो हम बाकी राज्यों में भी यह कार्य करते हैं। यह बात सच है कि पंजाब और हरियाणा में ज्यादा खरीद होती है, मगर आजकल स्थिति में बदलाव आ रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार ये स्टेट आज धान के उत्पादन में आगे जा रहे हैं और यह बहुत अच्छी बात है। सच बताऊं तो पंजाब और हरियाणा में व्हीट एण्ड राइस, जो पेडी है, क्रॉप का जो सर्कल है, आज यह साइकल तोड़ने की आवश्यकता है। वहां पर हम जितना कम धान करेंगे, उतना वहां का पानी और जमीन की परतवारी मेंटेन करने में मदद मिलेगी। पंजाब और हरियाणा में पेडी कम करना देश के हित की रक्षा है, हम इस पर ध्यान देते हैं, मगर जब तक वह चीज कम्पेनसेट नहीं होगी, तब तक हम पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कि कुछ राज्यों में अभी बदलाव आ रहा है और वहां पर इस तरह से माल आ रहा है। यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे में मैंने जवाब दिया है। हमारा आज का जो टोटल प्रोक्योरमेंट है - यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में टोटल रिक्वारमेंट और इसके लिए हमें जो प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, इसमें अंतर बहुत है। आज ऐसी स्थिति और स्ट्रेन्थ हमारे पास नहीं है, इसलिए वनरेबल सेक्शन, वीकर सेक्शन के हितों की रक्षा करने का कंर्सन लिया गया है, यहां वृंदा जी ने ए.पी.एल. की जो कीमत है, ए.पी.एल. की कीमत और मार्केट की कीमत, जब तक एक लेवल पर थी, तब तक ए.पी.एल. का प्रेशर नहीं था, आज आप इस तरह की डिमांड करते हैं कि किसानों को ठीक तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए, यह एक आवश्यक डिमांड भी है, साथ ही आप यह भी कहते हैं कि ए.पी.एल. के लिए भी वही सब्सिडी कायम करें, ये दोनों बात किसी भी तरह से स्वीकार करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसका बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, it is your State. They have cut 80 percent of the APL allocation to Kerala. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have not permitted you. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... I have not allowed you. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद पवार : राइट ऑफ फूड ...(**व्यवधान**)... राइट ऑफ फूड को स्वीकार करने में सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक दिक्कत है कि राइट ऑफ फूड किस वर्ग को और किस कीमत पर देना है, इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। समाज के गरीब लोगों को सब्सेडाइज कीमत पर बड़े पैमाने पर देने की आवश्यकता है, हम इसको स्वीकार करते हैं, मगर जिनकी देने की ताकत है, उनको उसी रेट से, उसी सब्सिडी से देना, आज की स्थिति में सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है, यह बात भी हम कहना चाहते हैं। जहां तक प्लानिंग के आंकड़े की बात कही है ...(**व्यवधान**)... प्लानिंग कमीशन के आंकड़े ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: You have got buffer stock. ...*(Interruptions)*... You have wasted money there. ...*(Interruptions)*... I am very sorry to say so. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद पवार : कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का आधार हमें स्वीकार करना चाहिए ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: We are totally against this policy of allocations and subsidies. ...*(Interruptions)*... We protest against the. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Brinda Karatji, I have not permitted you. ...*(Interruptions)*... The Minister is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद पवार : इसीलिए ...(**व्यवधान**)... हमने प्लानिंग कमीशन के ...(**व्यवधान**)... स्वीकार किये थे ...(**व्यवधान**)... और हम आगे भी वही स्वीकार कर रहे हैं।

SHRIMATI BRINDA KARAT: We are opposed to this and we walk out in protest. ...*(Interruptions)*...

(At this stage some Hon. Members left the Chamber)

PRIVATE MEMBERS BILLS

The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2009

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (Assam): Sir, I bag to move for leave to introduce a Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir, I introduce the Bill.

The Handloom Weavers (Protection and Welfare) Bill, 2009

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (Andhra Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protection of distressed handloom weavers who are debt ridden, exploited and